उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-49/2017/1247/पांच-8-2017-जी0(272)/2016टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-34(IV)/15/डी0आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 20-03-2017 में 10 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्तसमय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी **दिनांक 19-05-2017** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- यदि नवनियुक्त चिकित्साधिकारी, शासनादेश संख्या-1273/चि0-3-2015-जी0-

u.o.m.n

क्रमश:

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06/2013टी0सी0-1, दिनांक 26-05-2016 के माध्यम से अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर तैनाती का विकल्प देते हैं, तो उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-564/चि0-3-2014-जी0-06/2013, दिनांक 28-02-2014 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सीटों के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-49/2017/1247(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक----------------------शपथ पत्र डा0----------------------- पुत्र श्री/डा0--------------------------------निवासी--------------------------जनपद--------------------मैं डा0-------------------------------- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या------------------------------- दिनांक ----------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक--के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

<u>सत्यापन</u>

मैं डा0-----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक---------------

(शपथकर्ता)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0--------------------------पुत्र श्री-----------------------------------
निवासी--
को विगत-------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर---------------------------
निवासी-----------------------------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-49/2017/1247/पांच-8-2017-जी0(272)/2016टी0सी0, दिनांक: 21-04-2017 की तैनाती सूची का संलग्नक-

क्र सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस-115	52250061039	डा0 अंकुर चौकन/पुत्र स्व0 श्री किशन लाल चौकन/48 आर्दश नगर, कंकर खेड़ा, मेरठ-250001	ओ0बी0सी0	मेरठ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, बागपत
2.	एस-198	52250120209	डा0 सचिन प्रकाश/पुत्र श्री बुधपाल/ 258, भूड कानून गोयान, बरेली	ओ0बी0सी0	बरेली	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, पीलीभीत
3.	एस-241	52230126241	डा0 योगिता गौतम/पुत्री श्री अम्ब्रेश कुमार/ द्वारा श्री संजीव कुमार/गली नं0-4, फ्रेन्डस कालोनी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद-205135	एस0सी0	फिरोजाबाद	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, इटावा
4.	एस-319	52250201072	डा0 लव कुमार यादव/पुत्र श्री रणवीर सिंह यादव/8, नयी बस्ती, लटरी सिंह यादव की पकाई भटटी के पास, नियर जैन मन्दिर फिरोजाबाद-283203	ओ0बी0सी0	फिरोजाबाद	एम0बी0बी0एस0/ डी0एल0ओ0 (ई0एन0टी0)	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी
5.	एस-341	52250203788	डा0 नीलांजली वर्मा/पुत्री श्री विजय कुमार वर्मा/सी-97, इफको टाउनशिप, आंवला, बरेली-243403	ओ0बी0सी0	शाहजहांपुर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0म0चि0, पीलीभीत
6.	एस-657	52250030924	डा0 निदेश सिंह/पुत्र स्व0 श्री बाबू सिंह/ग्राम-मन्झा,पो0-चौरिया,तहसील -सिधौली, जनपद-सीतापुर-261307	ओ0बी0सी0	सीतापुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, शाहजहांपुर
7.	एस-747	52250016517	डा0 आशीष कुमार गुप्ता/ पुत्र श्री बसन्त राम गुप्ता/ग्राम-चांदपुर (मिश्रपुर), पो0-महराजगंज, जिला-आजमगढ़-276137	ओ0बी0सी0	आजमगढ़	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 ट्रामा सेन्टर, बलिया
8.	एस-764	52250075626	डा0 संगीता मौर्या/पुत्री स्व0 श्री सुब्बन प्रसाद मौर्या/एम0एल0आई0 जी0-2/138, सेक्टर-एच, जानकीपुरम, लखनऊ-226021	ओ0बी0सी0	कुशीनगर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, देवरिया
9.	एस-794	52250023818	डा0 शादाब अरशद/पुत्र श्री मोहम्मद अरशद/मोहल्ला-गुलाम औलिया, पो0-गंगोह, जिला-सहारनपुर	ओ0बी0सी0	सहारनपुर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, मुजफफरनगर
10.	एस-842	52250109172	डा0 काशिफ नदीम आलम/ पुत्र श्री नशीम आलम/एन-10/63एफ-1, जानकी नगर, ककरमत्ता, वाराणसी	ओ0बी0सी0	वाराणसी	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, आजमगढ़

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।